N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0020 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 31/01/2025 13:16 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 31/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:25 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 31/01/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 31/01/2025 13:16:09 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 68 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE THANA NEEMRANA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DINESH SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BALWANT SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1973 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GANDALA, BHAROR, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GANDALA, BHAROR, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAHENDRA KUMAR		पिता:JAYSINGH	1. GRAM KHOHRI POST BHUNGARA AHEE, MUNDAWER,खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	दस हजार रूपय प्राप्त करना तथा 25000 रूपये की मांग करना	25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 25.07.2024 को वक्त करीब 3.00 पीएम पर मन सहायक उप निरीक्षक पुलिस नरेन्द्र कुमार के समक्ष एक व्यक्ति ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आये और मन सहायक उप निरीक्षक को बताया कि हमारी श्री महेन्द्र कुमार, पुलिस उप अधीक्षक, ए0सी0बी0, अलवर से मोबाईल पर वार्ता हुई है। उन्होने कहा है कि ए0सी0बी0 कार्यालय में पहुंचकर श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक से मिले। इस पर मन सहायक उप निरीक्षक द्वारा ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देकर उनसे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह, जाति अहिर, निवासी गण्डाला, तहसील बहरोड, जिला कोटपूतली बहरोड होना बताया। तत्पश्चात श्री दिनेश सिंह ने एक लिखित प्रार्थना पत्र मन सहायक उप निरीक्षक को प्रस्तुत किया। श्री दिनेश सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री दिनेश सिंह ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मेरे खिलाफ मेरे परिवार के श्री संजय उर्फ सुनील पुत्र श्री सुरेन्द्र निवासी गण्डाला ने पुलिस थाना नीमराना में अपराध संख्या 22/24 दिनांक 05.01.2024 को दर्ज करवाया था इस मुकदमें कि जॉच श्री महेन्द्र हैड कानि. द्वारा कि जा रही है। श्री महेन्द्र हैड कानि. कुछ दिन पहले मेरे गॉव गण्डाला में मेरे घर आया और मुझ से कहा कि मै तेरे विभाग को दुराचरण रिपोर्ट भेजूगा और मुझे थाने में बन्द करने कि धमकी दी और कहा कि दो चार दिन में मैं तेरा चालान कर दुंगा एक लाख रूपयें लेकर मेरे पास आ जाना। मैं श्री महेन्द्र हैड कानि. को एक लाख रूपयें कि रिश्वत नहीं देना चाहता हू मैं उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं मेरे प्रार्थना पत्र के साथ अपराध संख्या 22/24 कि एफआईआर कि प्रति व मेरे आधार कार्ड कि प्रति पेश कर रहा हूं कृपया मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करें।" परिवादी ने दरियाफत पर यह भी बताया कि मेरी श्री महेन्द्र हैड कानि0 पुलिस थाना नीमराना से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन-देन भी बकाया नही है। परिवादी श्री दिनेश सिंह ने यह भी बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित व उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने दौराने पूछताछ अपने खिलाफ पुलिस थाना नीमराना पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 22/2024 की एवं अपनी पहचान स्वरूप अपने आधार कार्ड की छायाप्रति स्वयं द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत किया जिन्हें बाद अवलोकन संलग्न प्रार्थना पत्र किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाता है। इसलिए उपरोक्त तथ्यों के हालातों से मन सहायक उप निरीक्षक ने जरिये वाट्सएप कॉल श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक को अवगत करवाया एवं साथ ही परिवादी श्री दिनेश सिंह की भी वार्ता करवाई गई तो श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री दिनेश सिंह से वार्ता कर दिनांक 26.07.2024 को ब्यूरों कार्यालय में आने को कहा जाने पर परिवादी ने असमर्थता जाहिर कर निवेदन किया कि यदि मैं बार-बार अलवर आउंगा तो आरोपी को शक हो जायेगा तथा मुझे निजी कार्य से दिनांक 29.07.2024 तक बाहर जाना है तथा उक्त अवधि में मैं आरोपी से नही मिल सकता हूँ। अतः आप अपने किसी कर्मचारी को दिनांक 30.07.2024 को 10-11 बजे तक नीमराना भिजवा देना। मैं रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। इस पर श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस ने मन सहायक उप निरीक्षक को निर्देष दिये कि परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर सुरक्षित अपने पास रखे तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 का परिवादी से आपसी परिचय करवाकर व रिश्वत मांग सत्यापन हेतु दिनांक 30.07.2024 को प्रातः 10-11 बजे कस्बा नीमराना में मिलने तथा गोपनीयता रखने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात मन सहायक उप निरीक्षक ने श्रीमान उप अधीक्षक के निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री महेश कुमार कानि0 462 का परिचय पूर्व से कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री दिनेश सिंह से करवाया जाकर एक दुसरे के आपस में मोबाईल नम्बर दिलवाये गये तथा ब्यूरो कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्ड निकालकर उसमें नया एसडी मैमोरी कार्ड सेनडिस 32 लगाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि परिवादी श्री दिनेश सिंह को समझाई जाकर श्री महेश कुमार कानि0 462 को हिदायत दी गई कि परिवादी के बताये अनुसार दिनांक 30.07.2024 को निर्धारित स्थान पर मय ब्यूरों के विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर सहित कस्बा नीमराना पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावे। तत्पश्चात परिवादी श्री दिनेश सिंह को गोपनीयता की एवं दिनांक 30.07.2024 को श्री महेश कुमार कानि0 462 से सम्पर्क कर संदिग्ध आरोपी से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से समय

05.00 पी0एम0 पर रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 26.07.2024 को वक्त करीब 10.30 एएम पर श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, भ्रनिब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर ने परिवादी श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह, जाति अहिर, निवासी गण्डाला, तहसील बहरोड, जिला कोटपूतली बहरोड द्वारा आज दिनांक 25.07.2024 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दिनांक 25.07.2024 की कार्यवाही के रनिंग नोट सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस महेन्द्र कुमार को सुपुर्द किया। सहायक उप निरीक्षक द्वारा सुपुर्द प्रार्थना पत्र एवं रनिंग नोट का अवलोकन किया गया तो मामला रिश्वत लेन-देन का पाया गया। तत्पश्चात दिनांक 30.07.2024 को वक्त करीब 11.30 एएम पर श्री महेश कुमार कानि0 462 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि दिनांक 29.07.2024 को परिवादी श्री दिनेश सिंह ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाट्सएप कॉल कर सम्पर्क किया तथा आज दिनांक 30.07.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु मुझे ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर कस्बा नीमराना में बुलाया है। अतः मन उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की अलमारी से ब्यूरो का विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री महेश कुमार कानि0 462 से निकलवाकर उसमें नया एसडी मैमारी Sandisk 32 GB लगाकर उसे खाली होना सुनिश्चित कर श्री महेश कुमार कानि0 462 को सुपुर्द कर निर्देशित किया गया कि वह परिवादी श्री दिनेश सिंह द्वारा बताये गये निर्धारित स्थान कस्बा नीमराना पहुंच कर परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी श्री दिनेश सिंह को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर संदिग्ध आरोपी के पास भिजवाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करावे। तत्पश्चात श्री महेश कुमार कानि0 462 को मय डिजिटल वाईस रिकार्डर सहित रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु बजानिब कस्बा नीमराना के लिये रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉईस रिकार्डर बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। तत्पश्चात वक्त् करीब 4.20 पीएम पर श्री महेश कुमार कानि0 462 ने जरिये मोबाईल वाट््सएप कॉल कर मन पुलिस उप अधीक्षक को अवगत करवाया कि परिवादी ने उसे बताया है कि परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री महेन्द्र हैड कानि. पुलिस थाना नीमराना की रिश्वत मांग के क्रम में वार्ता नहीं हो पाई है। आरोपी श्री महेन्द्र हैड कानि. मुझे बैठा कर चला गया जिससे रिश्वत मांग के क्रम में वार्ता नही हो सकी। परिवादी द्वारा कल दिनांक 31.07.2024 को आरोपी श्री महेन्द्र हैड कानि. से रिश्वत मांग वार्ता करने को कहा। इस पर मन पुलिस उप अधीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 462 को निर्देष दिये कि वह रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता कराने हेतू परिवादी के साथ ही रूके तथा दिनांक 31.07.2024 को परिवादी को संदिग्ध आरोपी श्री महेन्द्र हैड कानि. पुलिस थाना नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड के पास पुलिस थाना नीमराना पर भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन कराने हिदायत दी गई। तत्पश्चात दिनांक 31.07.2024 को वक्त करीब 2.20 पीएम पर श्री महेश कुमार कानि0 462 ने जरिये मोबाईल वाट्सएप कॉल मन पुलिस उप अधीक्षक को अवगत करवाया कि परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री महेन्द्र हैड कानि. पुलिस थाना नीमराना की रिश्वत मांग के क्रम में वार्ता हो गई है तथा महेन्द्र हैड कानि. ने परिवादी के खिलाफ मुकदमें में एफआर लगाने की एवज में परिवादी से 25 हजार रूपये रिश्वत लेने के लिए सहमत तथा रिश्वत मांग के सत्यापन के दौरान 10 हजार रूपये रिश्वत के ले लिये तथा रिश्वत की राशी परिवादी द्वारा उनकी तनख्याह आने पर देने के लिए कहा गया है। परिवादी ने संदिग्ध आरोपी महेन्द्र हैड कानि. पुलिस थाना नीमराना से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है तथा उक्त रिकार्डषुदा वार्ता का डिजिटल वाईस रिकार्डर मन कानि0 को दे दिया है। महेश कुमार कानि0 462 ने यह भी बताया है कि परिवादी के पास संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशी 25 हजार रू0 की अभी व्यवस्था नही है इसलिए परिवादी को रिश्वत राशी की व्यवस्था करनी है तथा परिवादी अभी अलवर नही आ सकता है। इस पर मन पुलिस उप अधीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 462 को निर्देष दिये कि वह रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं के रिकार्डषुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को अपने कब्जे में सुरक्षित लेकर तथा परिवादी को रिश्वत राशी की व्यवस्था कर ब्यूरों कार्यालय उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर परिवादी श्री दिनेश सिंह को वही छोडकर ब्यूरों कार्यालय अलवर आवे। तत्पश्चात वक्त करीब 5.00 पीएम पर श्री महेश कुमार कानि0 462 ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 ने रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डषुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस उप अधीक्षक को प्रस्तुत कर बताया कि मैं दिनांक 30.07.2024 को परिवादी श्री दिनेश सिंह के साथ ए0सी0बी0 कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 03.00 पी0एम0 पर पुलिस थाना नीमराना के नजदीक पहुंचा, जहां पर मैंने समय करीब 03.20 पी0एम0 पर ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री दिनेश सिंह को सुपुर्द कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी श्री महेन्द्र सिंह हैड कानि0 के पास रिश्वत मांग के सत्यापन के लिये पुलिस थाना नीमराना के अन्दर भेजा और मैं परिवादी पर नजर रखते हुए पुलिस थाना नीमराना के बाहर ही रोड पर अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया। इसके बाद समय करीब 03.50 पी0एम0 परिवादी दिनेश सिंह पुलिस थाना नीमराना से बाहर निकलकर मेरे पास आया और अपने पास से ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर निकालकर चालू हालत में मुझे दिया, जिसको मैंने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। इसके बाद परिवादी ने मुझे बताया कि वह पुलिस थाना नीमराना में जाकर संदिग्ध आरोपी श्री महेन्द्र सिंह हैड कानि0 थाने में मिला जो मुझे बैठा कर चला गया जिससे रिश्वत मांग के क्रम में वार्ता नही हो सकी। परिवादी द्वारा दिनांक 31.07.2024 को आरोपी श्री महेन्द्र हैड कानि. से रिश्वत मांग वार्ता करने को कहा। जिस पर मेरे द्वारा जरिये वाट््सएप कॉल आपको अवगत कराने पर आपके निर्देशानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता कराने हेतू परिवादी के साथ रूककर दिनांक

31.07.2024 को समय करीब 01.25 पी0एम0 पर ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री दिनेश सिंह को सुपुर्द कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी श्री महेन्द्र सिंह हैड कानि0 के पास रिश्वत मांग के सत्यापन के लिये पुलिस थाना नीमराना के अन्दर भेजा और मैं परिवादी पर नजर रखते हुए पुलिस थाना नीमराना के बाहर ही रोड पर अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया। इसके बाद समय करीब 01.50 पी0एम0 परिवादी दिनेश सिंह पुलिस थाना नीमराना से बाहर निकलकर मेरे पास आया और अपने पास से ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर निकालकर चालू हालत में मुझे दिया, जिसको मैंने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। इसके बाद परिवादी ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमें में एफआर देने के सम्बन्ध में उसके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत के बारे में बातचीत की तो महेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमें में एफआर लगाने की एवज में 10 हजार रूपये रिश्वत मे ले लिये है तथा 25 हजार रूपये ओर लेने के लिए सहमत हुये है। परिवादी व महेन्द्र सिंह हैड कानि0 के मध्य हुई सभी वार्तालाप को परिवादी ने ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे एसडी मैमारी कार्ड के फोल्डर 2 में रिकॉर्ड कर लिया है। परिवादी ने मुझे यह भी बताया कि उसके पास संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशी की व्यवस्था नही है, मेरा वेतन माह की 2, 3 तारीख में आने पर रिश्वत राशी की व्यवस्था हो सकेगी। यही बात मैने आरोपी महेन्द्र कुमार हैड कानि0 को बोली है। उक्त सभी तथ्य मैंने आपको जरिये वॉटसअप कॉल अवगत करवाकर निर्देषानुसार परिवादी दिनेश सिंह को रिश्वत राशी की व्यवस्था होने पर अपने साथ लेकर ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर उसे नीमराना ही छोडकर मैं रवाना होकर ब्यूरों कार्यालय अलवर आ गया। तत्पष्चात मन पुलिस उप अधीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 462 द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डरषुदा वार्ताओं के प्रस्तुत डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस ने चालू कर सुना गया तो श्री महेश कुमार कानि0 462 द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई तथा परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री महेन्द्र सिंह हैड कानि0 पुलिस थाना नीमराना के मध्य रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्तालाप रिकार्ड होना तथा संदिग्ध आरोपी महेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने परिवादी के खिलाफ दर्ज मुकदमें में एफआर लगाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 10 हजार रूपये लेना तथा 25 हजार रूपये ओर लेने के लिए सहमत होना पाया गया। तत्पष्चात मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त वार्ताओं के रिकार्डषुडा डिजिटल वाईस रिकार्डर को अपने पास कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 3.08.2024 को वक्त करीब 9.50 एएम पर परिवादी श्री दिनेश सिंह ने जरिये वाटसएप कॉल कर बताया कि साहब आरोपी थाने पर नही है। जानकारी करने पर राजकार्य से बाहर गया होना बताया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को आरोपी के थाने आने की जानकारी कर उपस्थित आने व गोपनियता बाबत आवश्यक हिदायत दी गई । तत्पश्चात दिनांक 14.11.2024 को वक्त करीब 11.50 एएम पर परिवादी श्री दिनेश सिंह ने जरिये वाटसएप कॉल कर बताया कि आरोपी मेरे मोबाईल फोन को पिक नहीं कर रहा है हमे अभी सम्पर्क होने तक ट्रेप कार्यवाही हेतु अभी और इन्तजार /प्रयास करना चाहिए। इस पर परिवादी को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा हिदायत दी गई कि गोपनीयता रखते हुये आरोपी की जानकारी कर उपस्थित कार्यालय आये। तत्पश्चात दिनांक 20.12.2024 वक्त करीब 11.00 एएम पर परिवादी श्री दिनेश सिंह उपस्थित कार्यालय आया एवं मन पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि मेरे पास आज दिनांक तक आरोपी महेन्द्र सिंह, हैड कानि0 पुलिस थाना नीमराना का रिश्वत राशि के लिए फोन नहीं आया है ना ही मेरे द्वारा आरोपी को फोन करने पर फोन उठाया है। नवम्बर माह में मैं थाने गया तो आरोपी ने मुझसे कहा की आपका चालान पेश करूंगा। आरोपी को मुझ पर शक हो गया है तथा अब वह मेरे से रिश्वत राशी नहीं लेगा। इस संबंध में परिवादी श्री दिनेश सिंह द्वारा अपने हस्तलिखित हस्ताक्षरषुदा प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर परिवादी श्री दिनेश सिंह को कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 11.20 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने खनि अभियन्ता, सतर्कता खान एवं भूविज्ञान विभाग, अलवर को जरिये दूरभाष दो सरकारी कर्मचारी ब्यूरों की गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह हेतु पाबन्द कर अविलम्ब ब्यूरों कार्यालय में भिजवाने हेतु अवगत करवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 11.40 एएम गवाहान श्री दीपेश सैनी, कनिष्ठ सहायक कार्यालय खनि अभियन्ता(सतर्कता) खान एवं भूविज्ञान विभाग, अलवर व श्री रिजवान खान कनिष्ठ सहायक कार्यालय, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान, विभाग अलवर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। उक्त दोनों गवाहान का आपसी परिचय कार्यालय में पूर्व से मौजूद परिवादी श्री दिनेश सिंह से करवाया गया और ब्यूरो द्वारा की गई अब तक की कार्यवाही के बारे में अवगत कराकर उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री दिनेश सिंह द्वारा ब्यूरो कार्यालय में दिनांक 25.07.2024 को दिये गये प्रार्थना पत्र व आज दिनांक 20.12.2024 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री दिनेश सिंह द्वारा ब्यूरो में दिनांक 25.07.2024 व आज दिनांक 20.12.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये।इसके बाद वक्त करीब 12.20 पीएम पर गवाह श्री दीपेश सैनी, कनिष्ठ सहायक एवं श्री रिजवान खान, कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री दिनेश सिंह के समक्ष परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री महेन्द्र कुमार, हैड कानि. पुलिस थाना नीमराना, जिला कोटपूतली-बहरोड के मध्य दिनांक 30.07.2024 व 31.07.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डषुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी का लॉक खोलकर बाहर निकालकर उसे विभागीय कम्प्यूटर

में जोडकर चालूकर टेबिल स्पीकर की सहायता से दिनांक 31.07.2024 को फोल्डर 2 में रिकार्डषुदा वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट श्री रामजीत सिंह कानि0 206 से टाईप करवाकर तैयार की गई। उपरोक्त वार्ता में परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री महेन्द्र कुमार, हैड कानि. पुलिस थाना नीमराना, जिला कोटपूतली-बहरोड की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादीगण के बतायेनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की डीवीडी बनवाने हेतु तीन खाली डीवीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से तीन डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमषः तीनों डीवीडीयों पर मार्क A1, मार्क A2 एवं मार्क A3 अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री दिनेश सिंह के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क A1, व मार्क A2 को पृथक-पृथक प्लास्टिक के डीवीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे़ की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क A1व मार्क A2 अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क A3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस. डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क ै अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता में किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट व जब्ती डीवीडी व एसडी कार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 31.07.2024 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई तथा सिल्डषुदा डीवीडी मार्क " A1,, A2 व एसडी कार्ड मार्क S को मालखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 4.00 पीएम पर परिवादी श्री दिनेश सिंह तथा स्वतंत्र गवाहान गवाहान श्री दीपेश सैनी, कनिष्ठ सहायक कार्यालय खनि अभियन्ता(सतर्कता) खान एवं भूविज्ञान विभाग, अलवर व श्री रिजवान खान कनिष्ठ सहायक कार्यालय, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान, विभाग अलवर को बाद हिदायत कार्यालय से रूकसत किया गया। उपरोक्त की गई समस्त कार्यवाही एवं मौके के हालात से पाया गया की से आरोपी श्री महेन्द्र कुमार, हैड कानि. पुलिस थाना नीमराना, जिला कोटपूतली-बहरोड द्वारा परिवादी श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह, जाति अहिर, निवासी गण्डाला, तहसील बहरोड, जिला कोटपूतली बहरोड के खिलाफ श्री संजय उर्फ सुनील पुत्र श्री सुरेन्द्र निवासी गण्डाला द्वारा पुलिस थाना नीमराना में दर्ज कराये गये अपराध संख्या 22/2024 अन्तर्गत धारा 384 आईपीसी में एफआर लगाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 10,000/- रूपये बतौर रिश्वत के प्राप्त करना तथा 25000/-रूपये ओर प्राप्त करने के लिए सहमत होने पर श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री जयसिंह निवासी ग्राम खोहरी पोस्ट भुनगङा अहीर,तहसील मुण्डावर,जिला खैरथल-तिजारा हाल हैड कानि. नं.413 पुलिस थाना नीमराना जिला कोटपुतली-बहरोङ का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संषोधित) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया बनना बखूबी पाया गया है। श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री जयसिंह निवासी ग्राम खोहरी पोस्ट भुनगङा अहीर,तहसील मुण्डावर,जिला खैरथल-तिजारा हाल हैड कानि. नं.413 पुलिस थाना नीमराना जिला कोटपुतली-बहरोङ द्वारा परिवादी श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह, जाति अहिर, निवासी गण्डाला, तहसील बहरोड, जिला कोटपूतली बहरोड के खिलाफ श्री संजय उर्फ सुनील पुत्र श्री सुरेन्द्र निवासी गण्डाला द्वारा पुलिस थाना नीमराना में दर्ज कराये गये अपराध संख्या 22/2024 अन्तर्गत धारा 384 आईपीसी में एफआर लगाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 10,000/- रूपये बतौर रिश्वत के प्राप्त करना तथा 25000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया है। अतः उक्त अरोपी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री जयसिंह निवासी ग्राम खोहरी पोस्ट भुनगङा अहीर,तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा हाल हैड कानि. नं.413 पुलिस थाना नीमराना जिला कोटपुतली-बहरोङ का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय (महेन्द्र कुमार) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, अलवर..... कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, उप अधींक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री जयसिंह निवासी ग्राम खोहरी पोस्ट भुनगङा अहीर,तहसील मुण्डावर,जिला खैरथल-तिजारा हाल हैड कानि. नं.413 पुलिस थाना नीमराना जिला कोटपुतली-बहरोङ के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री परमेश्वर लाल , उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाड़ी को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 551पर अंकित है।(राहुल कोटोकी) उप महनिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 98-101 दिनांक 31-01-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर। 2-पुलिस अधीक्षक, जिला कोटपुतली-बहरोड। 3-उप

महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम अलवर। उप महनिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PARAMESHWAR LAL YADAV **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 31/01/2025 13:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	31/07/1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)